रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

सा० का० नि० 762 (अ) :—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1969 के नियम 19 के उपनियम (7) के साथ पठित नियम 24 के अनुसरण में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की वरिष्ठता) विनियम, 1971 में आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1 (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की वरिष्ठता) (संशोधन) विनियम, 1983 है ।

(2) इन्हें 20-9-1971 से लागू हुआ समझा जाएगा ।

2 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की वरिष्ठता) विनियम, 1971 के विनियम 3 में—

(i) उप-विनियम (5) में, "उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक अथवा उपनियम (2) के द्वितीय परन्तुक" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक तथा अंक रखे जाएंगे अर्थात् :—

"उपनियम (2) का तृतीय परन्तुक अथवा उपनियम (3) का द्वितीय परन्तुक"; तथा

(ii) उप-विनियम (6) में, खण्ड (क) में, "नियम 12 के उपनियम 2 के द्वितीय परन्तुक" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर "नियम 12 के उपनियम (2) का तृतीय परन्तुक" शब्द, कोष्ठक तथा अंक रखे जाएंगे ।

[संख्या 10/4/83-के०से० (II) (i)]

एन० एन० मुकर्जी, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 1983 के 1-8-69 से लागू हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की वरिष्ठता) विनियम, 1971 के विनियम 3 के उप नियम (5) तथा विनियम 3 के उप विनियम (6) के खण्ड (ङ) को 20-9-71 से संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

2. संशोधित विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & A. R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

G.S.R. 762(E).—In pursuance of rule 24 read with sub-rule (7) of rule 19 of the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Government of India in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) (Amendment) Regulations, 1983.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 20th September, 1971.

2. In the Central Secretariat Stenographers' Service (Seniority of Transferred Officers) Regulations, 1971, in regulation 3,—

(i) in sub-regulation (5), for the words, brackets and figures "second proviso to sub-rule (1) or second proviso to sub-rule (2)" the following words, brackets and figures shall be substituted, namely :—

"third proviso to sub-rule (2) or second proviso to sub-rule (3)"; and

(ii) in sub-regulation (6), in clause (e), for the words, brackets an figures "second proviso to sub-rule (2) of rule 12", the words, brackets and figures "third proviso to sub-rule (2) of rule 12" shall be substituted.

[No. 10/4/83-CS(II)(i)]

N. N. MOOKERJEE, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Consequent on the promulgation of the Central Secretariat Stenographer's Service (Amendment) Rules, 1983 with effect from the 1st August 1969, it has become necessary to amend sub-regulation (5) of Regulation 3 and clause (e) of sub-regulation (6) of Regulation 3 of the Central Secretariat Stenographers Service (Seniority of Transferred Officers) Regulations 1971, with effect from the 20th September 1971.

2. The interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to the amendment regulations.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983